संख्या-532/2017/1670/22-2-2017-29जी/2017

प्रेषक,

मणि प्रसाद मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2- समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।

3- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

4- समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

5- समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, कारागार, उत्तर प्रदेश।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 10 जुलाई 2017***

विषय: प्रदेश के कारागारों में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई से सम्बन्धित प्रस्तावों में उपलब्ध जनपद स्तरीय आख्याओं में तथ्यात्मक भिन्नता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दियों के समयपूर्व रिहाई के प्रस्तावों के कतिपय प्रकरणों में यह पाया गया है कि जनपद स्तर पर विभिन्न अधिकारियों के स्तर से उपलब्ध करायी गयी आख्याओं में तथ्यात्मक भिन्नता रहती है यह स्थिति अत्यन्त चिन्तापरक एवं खेदजनक है। इससे सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई के प्रकरणों में निर्णय लिये जाने में विलम्ब के साथ-साथ कठिनाई भी उत्पन्न होती है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में प्रेषित की जाने वाली आख्याओं में अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर ही तथ्यात्मक आख्याएं उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

कृपया उक्त आदेशों का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(मणि प्रसाद मिश्र)
सचिव

संख्या-532/2017/1670(1)/22-2-2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

2- समस्त परिक्षेत्रीय कारागार, उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in